राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 1(16)ग्रावि / नरेगा / वाकायो / 2016–17 जयपुर, दिनांक : 13/4/2016

13 APR 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त(राजस्थान)।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना 2016–17 में अतिरिक्त कार्य सम्मिलित करने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा श्रम बजट 2016–17 के अनुमोदन के दौरान वर्मी कम्पोस्ट पिट, आंगनबाडी केन्द्र, फार्म पोन्ड, टांका निर्माण एवं सडक के किनारे वृक्षारोपण के कार्य प्राथमिकता से लिये जाकर लक्ष्य निर्धारित किये गये है। इसी प्रकार राज्य के बजट वर्ष 2016–17 में कार्य प्रस्तावित किये गये है।

इस सम्बन्ध में कृपया ''ग्राम उदय से भारत उदय अभियान'' के अन्तर्गत आयोजित की जाने वाली विशेष ग्राम सभा में भारत सरकार द्वारा दिये गये लक्ष्य, बजट घोषणा के अनुरूप कराये जाने वाले कार्य, व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य, राजीविका के तहत गठित महिला स्वंय सहायता समूहों के पात्र परिवारो के व्यक्तिगत लाभ के कार्य तथा अन्य कार्य जोकि कराये जाने आवश्यक हों, को आवश्यक रूप से सम्मिलित किये जाकर ग्राम सभा से अनुमोदन कराया जावे।

उक्त निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

13/4

(अरविन्द सक्सैना)
अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. राज्य मिशन निदेशक, राजीविका, योजना भवन जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा जिला परिषद समस्त।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।

13/4

अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस